ले.प.प्रति.सं.50/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **उत्तरकाशी** के 03/2013 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेंद्र कुमार पांडेय**,** वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.12.2018 से 21.12.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक-इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री रविशंकर एवं श्री मुकेश कुमार**,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनाँक 20/03/2013 से 23/03/2013 तक सम्पन्न की गयी थी**,** जिसमे माह 10/2002 से 02/2013 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2013 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **उत्तरकाशी**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नव्तहैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	5.12	4.89	267.00	263.29	-	3.94
2016-17	-	-	12.00	4.49	310.88	307.64	-	10.75
2017-18	-	-	5.76	5.71	344.47	343.07	-	1.45
2018-19 (11/ 2018 तक)	-	-	9.71	9.27	369.71	220.16	-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः- शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुये इकाई “सी“श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

जिला कमांडेंट
वैतनिक निरीक्षक
प्रशासनिक अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय**, **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **उत्तरकाशी** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/15, 10/16, एवं 03/18 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

--------------- शून्य -----------------

<u>भाग दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:1-</u> कार्यालय स्थित परिसर में लघु निर्माण के अंतर्गत एक कक्ष निर्माण का समय सीमा पूर्ण होने के पश्चात भी हस्तांतरण न होना तथा समझौता ज्ञापन में शर्तों के विरुद्ध हस्तांतरण से पूर्व ही पूर्ण धनराशि का भुगतान निर्माण इकाई को किया जाना रू 4.00 लाख।

कार्यालय में लघु निर्माण संबंधी पत्रावली की जाँच में पाया गया कि जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, उत्तरकाशी तेखला स्थित परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य किया जाना था। उक्त कार्य 15-01-2018 को प्रारम्भ किया गया था, तथा समझौता ज्ञापन के अनुसार इसे मई 2018 में पूर्ण किया जाना था, किन्तु दिसम्बर 2018 तक भी कार्य पूर्ण कर हस्तांतरण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार 90% धनराशि का भुगतान कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व तथा शेष 10% धनराशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात किया जाना था, किन्तु कार्यालय द्वारा 100% धनराशि का भुगतान हस्तांतरण से पूर्व ही कर दिया गया, जो कि समझौता ज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर कार्यालय द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि इस संबंध में निर्माण इकाई से पत्राचार किया जाएगा तथा हस्तांतरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाएगी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-शून्य

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-शून्य

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय**, **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा **में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-शून्य**

2- सतत् अनियमिततायेः-शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी.डी.ओ. का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	कुमारी प्रतिमा	जिला कमांडेंट	13/01/2012	01/12/2013
2.	श्री राहुल सचान	जिला कमांडेंट	02/12/2013	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियनितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मलित कर एक प्रति कार्यालय **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र